06/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
उपस्थित। वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर
शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली GCMS 2016/00049
नंबर से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 65/2016 GCMS:-2016/00049 दायर दिनांक : 28.03.2016

ईलाही सेन पत्नि शोकत अली पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी नर सिंह कालोनी, मण्डी डबवाली हरियाणा।

......वादी

बनाम

1. जीनत बी बेवा सैद खां जाति मुसलमान नि. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
2. वकील खां
3. अस्माईल खां
4. अदरीश
5. शमाउन
6. मनीर खां

(2 से 6) पुत्र सैद खां जाति मुसलमान नि. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

7. सकीना पत्नि सिकन्दर पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. अईसा पत्नि लड्डू पुत्र नूर अहमद पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. लखा पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. समा बी पत्नि साबरी पुत्र मोहम्मद बक्श पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. प्रबन्धक महोदय एस.बी.बी.जे. शाखा सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादीया
2. श्री बाबूलाल चाण्डक, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 10
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 06.05.2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि मुरब्बा आबादी 13 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ सम्वत् 2067 ता 2070 जमाबंदी के खाता 43 में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम से प.न. 87/ 7 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.07 18:01:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. खातेदारी भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 10 प्रत्येक 1/11 हिस्सा के खातेदार कृषक अंकित है वादीया ने अपने 1/11 हिस्सा की भूमि को खाता विभाजित कर अपना खाता अलग कायम करने व उसके हिस्से में आयी भूमि का कब्जा वादीया ने स्वयं को दिलाने एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की प्रार्थना की साथ ही प्रतिवादी सं. 11 को भू–धारक का प्रतिनिधि होने व प्रतिवादी सं. 12 को उक्त भूमि रहन होने से आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया।

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 कि ओर से श्री बाबूलाल चाण्डक अधिवक्ता उपस्थित आये व उनके द्वारा प्रतिवादीगण कि ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादीया के नाम 1/11 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है वादी एवं प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है प्रश्नगत भूमि वादीया के पिता सैद खां की थी जो निर्वसीयत फौत होने पर उनका उत्तराधिकार मुस्लिम विधि से होना था मुस्लिम विधि में पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार के रूप में पुत्रियों को किसी प्रकार का अधिकार उत्तराधिकारी के रूप में देने का प्रावधान नहीं है इसलिए वादीया का नाम कलमजन कर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं. 10 व 11 बावजूद समय देने जवाब ना आने पर पत्रावली में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई

1. आया वादिया मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2060 ता 2070 के खाता सं. 12/43 प.न. 87/347 का 4.960 है. खातेदारी भूमि में अंकित काश्तकार है?

....वादीया

2. आया वादिया मुताबिक जमाबंदी खाता सं. 12 के अनुसार वादिया का 1/11 हिस्सा अंकित है वादिया जरिये घोषणात्मक वाद पत्र खाता विभाजन कराने की अधिकारिणी है?

....वादिया

3. आया वाद अन्तर्गत भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 10 को वारिस के हिस्सा 1/11 पर अतिक्रमी होने से फ[illegible]ने के अधिकारी है वादिया प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है व फसल का अन्तर्निहित लाभ भी प्राप्त क[illegible] की अधिकारिणी है?

......वादिया

4. आया वादिया के पिता की मृत्यु के बाद वाद अन्तर्गत भूमि में विरास्तन हक व हिस्सा नहीं बनता?

.....प्रतिवादी

क्रमशः पेज 3 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

5. आया प्रतिवादीगण जमाबंदी में अंकित भूमि में वादिया का नाम गलत अंकन होने के कारण स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है?

......प्रतिवादी

6. आया प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं. 125 दिनांक 21.07.2008 के विरूद्ध कोई चाराजोई अलग से प्रस्तुत की?

......प्रतिवादी

7. अन्य अनुतोष।

तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्य लिये गये, वादीया कि ओर से शपथ पत्र पर वादिनी के बयान प्रस्तुत हुए व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 कि ओर से बावजूद अवसर देने किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद तर्क सुने गये वादीया कि ओर से अभिभाषक वादिया ने तर्क प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के कथनों की ओर ध्यान दिलाया व वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी जो शपथ पत्र में प्रदर्श सं. 1 बताई गई व नामांतरण जो प्रदर्श सं. 2 बताया गया है कि ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि वादिया के नाम से मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 चक 13 एस.एच.पी.डी के खाता सं. नया 12 पुराना 43 प.न. 87/347 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क. कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ. क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ. क. खातेदारी भूमि में 1/11 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है जो दस्तावेजी साक्ष्य है इस साक्ष्य को दस्तावेज के माध्यम से झुठलाया जा सकता है प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है वादिया अपने नाम से अंकित भूमि का खाता विभाजन करवाने की हकदार है जहॉ तक प्रतिवादीगण का यह कथन है कि पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है वादिया मुस्लिम है निर्वसीयती का उत्तराधिकार मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण पुत्रियों को उत्तराधिकार में किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं होता ऐसा कोई कानूनी दृष्टांत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रतिवादीगण सं. 7 ता 10 भी वादिया की भांति ही महिला सदस्य है ओर स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मय प्रतिवाद पत्र के पैरा सं. 12 में यह अंकित किया है कि वादिया का नाम कलमजन कर प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर उसका हिस्सा दर्ज किया जावें, वादिया को [illegible] नही मिलेगा ओर उसी की भांति उत्तराधिकार के [illegible] 10 को स्वयं प्रतिवादी उत्तराधिकारी मानते है अर्थात प्रतिवादीगण मुस्लिम पिता की सम्पत्ति में पिता का हक उत्तराधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 4 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रूप में स्वीकार करते है ओर वादिया का हक बतौर पुत्री समान स्थिति होते हुए भी स्वीकार नहीं करते यह स्वयं में विरोधाभासी है मुस्लिम विधि में भी उत्तराधिकारी पुत्री है यह पंचायत के प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा ना तो नामांतरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत की गई है ना ही दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध पुष्ट साक्ष्य के साथ किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया है इस अवस्था में वादिनी जमाबंदी में अंकन के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि में 1/11 हिस्से की खातेदार होने से खाता विभाजन करवाकर अपने नाम से 1/11 हिस्से की खातेदार बाद खाता विभाजन अपने नाम से अलग खाता कायम करवाने की पात्र है वाद को पूर्ण रूप से वादिनी ने तनकीवार सिद्ध किया है बाद खाता विभाजन अपने नाम से अंकित भूमि से प्रतिवादीगण को बतौर अतिक्रमी बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, अतः वाद वादिनी स्वीकार करने की प्रार्थना कि गई इसी अनुसार मौखिक बहस के साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

वादिया के अभिभाषक के तर्को का खण्डन करते हुए प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क दिये गये कि वादिया मुस्लिम विधि से अधिशासित होती है ओर धारा 40 काश्तकारी अधिनियम अनुसार मुस्लिम होने से वादिया पर मुस्लिम विधि प्रभावशील है जिसमें सहदायी अथवा संयुक्त परिवार की अवधारणा नहीं है साथ ही उनका यह भी निवेदन है कि यदि कोई मुस्लिम अपना वाद यह कहकर प्रस्तुत करता है कि उस पर हिन्दु विधि लागू है तो इसकी घोषणा व्यवहार न्यायालय से की जा सकती है राजस्व न्यायालय से नहीं, द्वितीय उनका यह कथन रहा कि नामांतरण की कार्यवाही से किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते इस विषय में उनके द्वारा न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.बी.जे. 1999 पेज 562, आर.आर.टी. 2021 पेज 1202, आर.आर.डी. 1994 पेज 659, आर.आर.टी. 2019 पेज 593, आर.आर.डी. 1977 पेज 92 प्रस्तुत किये व इसी न्यायालय का एक न्याय निर्णय मुमताज खां बनाम खुशियॉ निर्णय दिनांक 26.07.2010 प्रस्तुत किये व वादिया का वाद मय खर्चा निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रतिवादी सं. 10 द्वारा राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में व न्याय निर्णयों का अवलोकन पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 16:01:12 IST
Reason: SelfAttested

1. <u>तनकी सं. 1 :</u> आया वादिया जमाबंदी संवत् 2060 ता 2070 के खाता सं. 12/43 प.न. 87/347 की 4-00 है. खातेदारी भूमि में अंकित काश्तकार है?

....वादीया

क्रमशः पेज 5 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसका तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 चक 13 एस.एच.पी.डी के खाता सं. नया 12 पुराना 43 प.न. 87/347 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क. कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. खातेदारी भूमि की प्रस्तुत की है जिसमें वादिया का 1/11 हिस्सा की खातेदारी का अंकन है दस्तावेजी साक्ष्य है यह अंकन नियमानुसार है अथवा नहीं इसे मौखिक कथन विवादित नहीं किया जा सकता, योग्य अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा इसे इस आधार पर विवादित किया गया है कि वादिनी का अंकन हिन्दु विधि के आधार पर हुआ है जबकि वादिनी मुस्लिम है ओर मुस्लिम विधि में सहदायी अथवा संयुक्त परिवार की अवधारणा नहीं है। वादिनी का यह वाद जमाबंदी में अंकन के आधार पर है किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा यह अंकन निरस्त नहीं किया गया है द्वितीय वादिनी ने वाद हिन्दु विधि के उत्तराधिकार हेतू घोषणा का वाद नहीं किया बल्कि अंकन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है ओर वादिनी अंकित काश्तकार है ऐसे अंकित काश्तकार का अंकन मात्र मौखिक कथन के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता जमाबंदी दस्तावेजी साक्ष्य है इसको दस्तावेजी साक्ष्य से ही विवादित किया जा सकता है प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई नियम अथवा न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं किया जिसमें निर्वसीयती की मृत्यु उपरान्त उसकी पुत्रियों को कोई हक प्राप्त ना होता हो, स्वयं प्रतिवादी द्वारा वादीया के हक को निरस्त कर उसे समान भाग में अन्य प्रतिवादीगण को बांटने की मॉग की है मात्र इसमें वादिया को छोड़ा गया है जो विरोधाभासी है, स्वयं प्रतिवादीगण मृतक की पुत्रियों के हक को प्रतिवाद पत्र में स्वीकार कर रहे है यह सही है कि हिन्दु विधि में सहदायी अथवा संयुक्त परिवार की अवधारणा नहीं है किन्तु इसके आधार पर वादिया ने कोई घोषणा नहीं चाही है वादिया पूर्व अंकित खातेदारी अधिकार के अंकन के आधार पर अपना खाता विभाजन करवाने का वाद लाई है जो प्रत्येक अंकित काश्तकार का धारा 53 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अधिकार है। वादिया ने जमाबंदी के आधार पर इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है इसी अनुसार तनकी सं. 1 बहक वादिया निर्णय की जाती है।

2. **<u>तनकी सं. 2 :</u>** आया वादिया मुताबिक जमाबंदी खाता सं. 12 के अनुसार वादिया का 1/11 हिस्सा अंकित है वादिया जरिये घोषणात्मक वाद पत्र खाता विभाजन कराने की अधिकारिणी है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

.......वादीया

क्रमशः पेज 6 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी का सम्बंध तनकी सं. 1 से है वादिया द्वारा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें वादिया जमाबंदी अनुसार सम्वत् 2067 ता 2070 चक 13 एस.एच.पी.डी के खाता सं. नया 12 पुराना 43 प.न. 87/347 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क. कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. खातेदारी भूमि में 1/11 हिस्से की खातेदार कृषक अंकित है प्रत्येक अंकित काश्तकार को अपने अंकित हिस्से की भूमि का खाता हिस्सानुसार पृथक कराने का अधिकार है, अधिकार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदान किया गया है इसी अनुसार तनकी न. 2 बहक वादिनी निर्णय की जाती है।

3. <u>तनकी सं. 3 :</u> आया वाद अन्तर्गत भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 10 को वारिस के हिस्सा 1/11 पर अतिक्रमी होने से फसल उठाने के अधिकारी है वादिया प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है व फसल का अन्तर्निहित लाभ भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

......वादिया

इस तनकी को सिद्ध करने के लिये वादिया द्वारा अपने शपथ पत्र में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रतिवादीगण उसके हिस्से की भूमि पर काबिज है, प्रतिवादीगण स्वयं भी वादिया के हिस्से को स्वीकार नहीं करते वादिनी वाद ग्रस्त भूमि के 1/11 हिस्सा की भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है किन्तु उसकी स्वीकृति के बिना प्रतिवादीगण फसली लाभ उठा रहे है किन्तु काश्तकारी अधिनियम की अवधारणानुसार सहकाश्तकार अंकित भूमि इंच इंच भूमि पर काबिज माने जाते है जब तक कि वे किसी काश्तकार के अधिकारो से इन्कार नहीं करते इस प्रकरण में भूमि के विभाजन से पूर्व सह काश्तकारों को अतिक्रमी मानना उचित प्रतीत नहीं होता किन्तु वादिनी ने अपने अधिकारों से वंचित होना दिनांक 11.03.2016 से वंचित होना बताया है वादिनी अंकित काश्तकार है इसलिये दिनांक 11.03.2016 से वाद के अंतिम निर्णय तक का वाद कालीन मुआवजा (Mesne Profit) पाने की अधिकारिणी बनती है जो उसे अंतिम आदेश व डिक्री में ही दिया जा सकता है। इस अनुसार तनकी सं. 3 आंशिक रूप से बहक वादिनी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

4. <u>तनकी सं. 4 :</u> आया वादिया के पिता की मृत्यु के बाद वाद अन्तर्गत भूमि में विरास्तन हक व हिस्सा नहीं बनता?

.....प्रतिवादी

क्रमशः पेज 7 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था तनकी को सिद्ध करने के लिये उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो न्याय निर्णय प्रस्तुत किये गये है उनमें विचारण बिन्दु यह था कि यदि कोई मुस्लिम अधिकारों की घोषणा हिन्दु विधि अनुसार चाहता है तो उसे व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा इसी अनुसार का न्याय निर्णय इस न्यायालय का भी प्रस्तुत किया गया है उक्त न्याय निर्णय में वादी द्वारा मुस्लिम विधि के अनुरूप अपने अधिकारों की घाषणा चाही थी ओर पिता के जीवन काल में हिन्दु विधि के मुताबिक सहदायी व संयुक्त परिवार की अवधारणा अपने पर प्रभावशील बताते हुए चाही थी जबकि इस मामले में वादिया अंकित काश्तकार है वह अंकन अनुसार अपना खाता विभाजन करवाना चाहती है प्रतिवादीगण भी मात्र वादिया के हकों से इन्कारी कर रहे है प्रतिवादी सं. 7 ता 10 भी महिला सदस्य है और उक्त भूमि में वादिया का हक कलमजन कर उस हक को अपने नाम से घोषणा करवाना चाहती है जो कि स्वयं में विरोधाभासी है द्वितीय वादिया का यह वाद घोषणा का नहीं बल्कि खाता विभाजन एवं बेदखली का है प्रस्तुत न्याय निर्णयों के विचारण बिन्दु वर्तमान वाद के विचारण बिन्दु से भिन्न थे इसलिये प्रस्तुत न्याय निर्णय अभिभाषक प्रतिवादी वर्तमान वाद के विचारण बिन्दु से भिन्न होने से प्रभावशील नहीं होते ना ही किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है इसलिए तनकी सं. 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

5. <u>**तनकी सं. 5 :**</u> आया प्रतिवादीगण जमाबंदी में अंकित भूमि में वादिया का नाम गलत अंकन होने के कारण स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है?

......प्रतिवादी

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था ओर सम्बंध तनकी सं. 4 से है पूर्ण विवेचन तनकी सं. 4 में किया जा चुका है दस्तावेजी साक्ष्य वादिया के हक में है प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और प्रतिदावा के कथन स्वयं विरोधाभासी है जिसका पूर्ण विवेचन तनकी सं. 4 में किया जा चुका है इसलिए तनकी सं. 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

6. <u>**तनकी सं. 6 :**</u> आया प्रतिवादी सं. 1 ता 10 द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं. 125 दिनांक 21.07.2008 के विरूद्ध कोई [illegible] अलग से प्रस्तुत की?

......प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये तनकी सं. 6 खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

7. अन्य अनुतोष।

क्रमशः पेज 8 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपरोक्तानुसार तनकी सं. 1, 2, 3 बहक वादिया व तनकी सं. 4 ता 6 खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णय होने से वाद वादिया प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 चक 13 एस.एच.पी. डी के खाता सं. नया 12 पुराना 43 प.न. 87/347 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क. कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. खातेदारी भूमि के खाते को विभाजन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है और आदेश दिया जाता है कि उक्त खाते में वादिया के 1/11 हिस्सा की भूमि विभाजन के नियमानुसार उक्त खाता को विभाजित कर वादिया के 1/11 हिस्से की भूमि अच्छी में से अच्छी व खराब में खराब के खाता विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ प्रस्तुत करे इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो व इस हेतू उसे अलग से पत्र जारी हो। विभाजन प्रस्ताव आने तक पत्रावली दाखिल दफतर की जावे विभाजन प्रस्ताव आने के बाद विभाजन में वादिया को प्राप्त होने वाली भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाये जाने हेतू अंतिम आदेश व डिक्री जारी करने के लिये पत्रावली को पुनः पेशी में ली जावें। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिदावा के आधार पर बनी तनकी सं. 4, 5, 6 खिलाफ प्रतिवादी निर्णय होने से प्रतिदावा प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदमा इब्तदाई

अज अदालत — सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास — भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :—

ईलाही सेन पत्नि शोकत अली पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी नर सिंह कालोनी, मण्डी डबवाली हरियाणा।

......वादी

बनाम

1. जीनत बी बेवा सैद खां जाति मुसलमान नि. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़।
2. वकील खां
3. अस्माईल खां
4. अदरीश
5. शमाउन
6. मनीर खां

} पुत्र सैद खां जाति मुसलमान नि. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

7. सकीना पत्नि सिकन्दर पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. अईसा पत्नि लड्डू पुत्र नूर अहमद पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. लखा पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. समा बी पत्नि साबरी पुत्र मोहम्मद बक्श पुत्री सैद खां जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. प्रबन्धक महोदय एस.बी.बी.जे. शाखा सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 65 वर्ष 2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 10 श्री बाबूलाल चाण्डक व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है

वाद वादीया प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 2070 चक 13 एस.एच.पी.डी के खाता सं. नया 12 पुराना 43 प.न. 87/347 (12) का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 14 ता 17 प्रत्येक में 0.253 है. अ.क. कि.न. 18 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कमाण्ड, कि.न. 22/2, 23/2, 24/2 प्रत्येक में 0.228 है. कमाण्ड, 25/2 में 0.228 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क./अ.क. जिसमें 3.7200 है. कमाण्ड 1.2400 है. अ.क. कुल 4.9600 है. क. /अ.क. खातेदारी भूमि के खाते को विभाजन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है और आदेश दिया जाता है कि उक्त खाते में वादिया के 1/11 हिस्सा की भूमि विभाजन के नियमानुसार उक्त खाता को विभाजित कर वादिया के 1/11 हिस्से की भूमि अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के खाता विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रतिवाद पत्र प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना — अपना वहन करेंगें।

नोज.......×......... मुबलिग ....×......... ब[illegible]......... खर्चा ....×......... इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....×......... अदायगी की पालना .... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के जारी दिनांक 06.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)